

वन भूमि की गणना अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार होने संबंधी प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच-४३) के कि०मी० चैनेज ४.४२० से ५.८२० तक बाँयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु ०.०८४१ हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की गणना प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की गयी है।


(सतीश चन्द्र वर्मा)
सहायक महाप्रबन्धक,
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
मुरादाबाद।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
खिलारी ईज (मराठा)


(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद